

अनुदान संख्या 100 - लोक निर्माण कार्य
GRANT No. 100-PUBLIC WORKS

		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
प्रभारित-	Charged-	1,00,00	64,49	-35,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-	793,72,00	703,81,48	-89,90,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			71,07,26
पूंजीगत:	Capital:			
प्रभारित-	Charged-	1,00,00	48,35	-51,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	358,02,00	421,12,00	323,74,58
पूरक	Supplementary	63,10,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			73,75,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"			
लोक निर्माण कार्य	Public Works			
मू.	O.	79372.00	72264.74	70381.48
पु.	R.	-7107.26		
				-1883.26

(I) 0.30 लाख रु. का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “कार्यालय भवन” -

(क) “निर्माण -भवन” - 123.99 लाख रु. की बचत (1500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित कार्यालयों से पर्याप्त मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “पट्टा प्रभार - स्थानीय निकायों इत्यादि को किराया, दरों और करों की अदायगी” - 389.74 लाख रु. की बचत (10300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थानीय निकायों से पट्टा प्रभार संबंधी दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) “उचत - स्टॉक” - 3241.18 लाख रु. की बचत (6000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रमुख परियोजनाओं के लिए सामग्री उपलब्ध न होने के कारण हुई।

(खा) “सामान्य” -

(क) “निदेशन तथा प्रशासन” -

(i) “निदेशन” - 556.65 लाख रु. की बचत (6515.60 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ii) “निष्पादन” - 1288.28 लाख रु. की बचत (21650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(iii) “संरचनात्मक नियोजन” - 870.91 लाख रु. की बचत (4098.10 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(iv) “वास्तुशिल्पीय नियोजन” - 515.74 लाख रु. की बचत (1726.30 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(I) Provision of Rs.0.30 lakhs remained wholly unutilized under one head.

(II) Savings occurred under the following heads:-

(A) “Office Building” -

(a) “Construction - Buildings” - saving of Rs.123.99 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1500.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient demands from the client Offices.

(b) “Lease Charges - Payment of Rent, Rates and Taxes to Local bodies etc.” - saving of Rs.389.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10300.00 lakhs) was due to non-receipt of claims of lease charges from local bodies.

(c) “Suspense - Stock” - saving of Rs.3241.18 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6000.00 lakhs) was due to not providing of material for major projects.

(B) “General” -

(a) “Direction and Administration”-

(i) “Direction” - saving of Rs.556.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6515.60 lakhs);

(ii) “Execution” - saving of Rs.1288.28 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.21650.00 lakhs);

(iii) “Structural Planning” - saving of Rs.870.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4098.10 lakhs) ; and

(iv) “Architectural Planning” - saving of Rs.515.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1726.30 lakhs).

Savings under the above four heads were due to non-filling up of vacant posts.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों के भरे न जाने के कारण हुईं।

(v) “कंप्यूटरीकरण की स्कीम” - 1626.02 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत कंप्यूटरीकरण के कार्य की धीमी प्रगति होने और सामग्री संबंधी बिलों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) “अन्य व्यय - भूमि और विकास कार्यालय” - 112.62 लाख रु. की बचत (502.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने और मजदूरी और चिकित्सा उपचार से संबंधित प्रतिपूर्ति पर कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें एक शीर्ष के अंतर्गत 57.60 लाख रु. के अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत थीं।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के प्रभारित अंश में, एक शीर्ष के अंतर्गत 51.65 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत विनियोग का 52 प्रतिशत थी।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (9737.42 लाख रु.) अगस्त, 2007 और नवंबर, 2007 में प्राप्त किए गए 6310.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 23 प्रतिशत थीं।

(v) “Scheme of Computerisation” - saving of Rs.1626.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to slow progress of work of integrated computerization and non-receipt of materials bills.

(b) “Other Expenditure – Land and Development Office” - saving of Rs.112.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.502.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less payment of wages and reimbursement on medical treatment.

2. The above savings were partly offset by an excess of Rs.57.60 lakhs under one head constituting 29 percent of the sanctioned provision.

3. In the charged portion of the capital section of the grant, saving of Rs.51.65 lakhs occurred under one head constituting 52 percent of the sanctioned appropriation.

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (Rs.9737.42 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.6310.00 lakhs obtained in August, 2007 and November, 2007 and constituted 23 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
मुख्य शीर्ष “4059” लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “4059” Capital Outlay on Public Works			
मू.	O.	33350.00		
पू.	S.	6310.00	32740.00	30643.46
पु.	R.	-6920.00		-2096.54
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
Head			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)	
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"			
शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture			
मू.	O. 250.00	70.00	67.83	-2.17
पु.	R. -180.00			
मुख्य शीर्ष "4250"	Major Head "4250"			
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services			
मू.	O. 1652.00	1552.00	1375.62	-176.38
पु.	R. -100.00			
मुख्य शीर्ष "5052"	Major Head "5052"			
जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping			
मू.	O. 550.00	375.00	287.67	-87.33
पु.	R. -175.00			

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत
हुई/हुआ:-

(I) 1000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष
"4059" - "सामान्य - निर्माण - वित्त (व्यय)" के अंतर्गत
संबंधित विभाग से प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की
स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एक मामले में पूर्णतया
अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - लेखा
परीक्षा" के अंतर्गत 2900.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को
4000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर
6900.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो आइजोल में
महालेखाकार भवन और मुंबई में नियंत्रक महालेखापरीक्षक
प्रशिक्षण संस्थान के कार्य में धीमी प्रगति होने के कारण
114.46 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.1000.00 lakhs remained
wholly unutilised in one case under Major Head
"4059" - "General - Construction - Finance
(Expenditure)" - due to non-receipt of
administrative approval and expenditure sanctions
from the client Department.

(II) Under Major Head "4059" - "General -
Construction - Audit" - the original provision of
Rs.2900.00 lakhs was augmented to Rs.6900.00
lakhs by obtaining supplementary grant of
Rs.4000.00 lakhs which, however, remained
unutilised to the extent of Rs.114.46 lakhs - due
to slow progress of Accountant General building
at Aizol and Comptroller and Auditor General
training institute at Mumbai.

(III) Under Major Head "4059" - savings
occurred under the following heads:-

(III) मुख्य शीर्ष "4059" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) "कार्यालय भवन - निर्माण - भवन" - 7909.33 लाख रु. की बचत (17400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन (आईएनए), सामान्य पूल आवास, हैदराबाद, केंद्रीय सरकारी कार्यालय विस्तार, साकेत परियोजनाओं का संशोधित प्रारंभिक अनुमान प्राप्त न होने और सामान्य पूल कार्यालय आवास भवन, पोर्टब्लेयर का निर्माण कार्य शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "सामान्य - निर्माण" -

(क) "लोक सभा" - 719.37 लाख रु. की बचत (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से पर्याप्त प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने, बिजली संबंधी निर्माण कार्य और लोक सभा सचिवालय टेलीविजन चैनल के संस्थापन संबंधी कार्य के लिए सामग्री प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) "खान" - 306.26 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) "नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा" - 162.42 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन" - 197.85 लाख रु. की बचत (850.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) मुख्य शीर्ष "4202" - "सामान्य शिक्षा - सामान्य - भवन" के अंतर्गत 182.17 लाख रु. की बचत (250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) मुख्य शीर्ष "4250" - "रोजगार - भवन" के अंतर्गत 343.89 लाख रु. की बचत (930.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(A) "Office Buildings- Construction - Buildings" - saving of Rs.7909.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17400.00 lakhs) was due to non-receipt of revised preliminary estimates of International Airport (INA), General Pool Accommodation, Hyderabad, Central Government Office Extension, Saket Projects and non-taking up of work of General Pool Office Accommodation Building, Portblair.

(B) "General - Construction" -

(a) "Lok Sabha" - saving of Rs.719.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient administrative approval and expenditure sanctions from the client Department, material for electric works and installation of Lok Sabha Secretariat Television channel.

(b) "Mines" - saving of Rs.306.26 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);

(c) "New and Renewable Energy" - saving of Rs.162.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs);

(d) "Personnel Public Grievances & Pension" - saving of Rs.197.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.850.00 lakhs);

(IV) Under Major Head "4202" - "General Education - General - Buildings" - saving of Rs.182.17 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.250.00 lakhs); and

(V) Under Major Head "4250" - "Employment - Buildings" - saving of Rs.343.89 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.930.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to non-receipt of sufficient administrative approval and expenditure sanctions from the Client Departments.

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें संबंधित विभागों से पर्याप्त प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "5052" - "सामान्य - अन्य व्यय - भवन" के अंतर्गत 262.33 लाख रु. की बचत (550.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित विभाग से पर्याप्त प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति प्राप्त न होने और पूर्वी क्षेत्र-I में बिलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2500.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - वित्त (राजस्व)" के अंतर्गत 4500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1310.99 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4059" - "सामान्य - निर्माण - विदेश मामले" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 132.11 लाख रु. का अधिक व्यय (225.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यकारी अभिकरणों/संविदाकारों को लखनऊ, जयपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई और बंगलौर में किए गए कार्य की अदायगियों के लिए अधिक निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(VI) Under Major Head "5052" - "General-Other Expenditure - Buildings" - saving of Rs.262.33 lakhs (against the sanctioned provision Rs.550.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient administrative approval and expenditure sanctions from the client Department and non-finalisation of bills in East Zone-I.

5. (I) The above savings were partly (Rs.2500.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.4500.00 lakhs under Major Head "4059" - "General - Construction - Finance (Revenue)". Actual excess, however, was Rs.1310.99 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4059" - "General - Construction - External Affairs" - excess of Rs.132.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.225.00 lakhs) was due to requirement of more funds for payments to executing agencies/ contractors for work done at Lucknow, Jaipur, Bhubaneswar, Chennai and Bangalore.